FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **मलसीसर**

मयंक चौधरी बनाम **राज0 सरकार वगै0**

किस्म मुकदमाः दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती मु0न0 **46** सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	आज यह दावा वादी की ओर से जरिये एडवोकेट मो0 रशीद खान बाद जांच पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना मय नकल दावा रजिस्टर्ड एडी से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलवी आईन्दा दिनांक 23.04.2025 को पेश हो।	
23/4/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 28/5/25 को पेश हो	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 2/7/25 को पेश हो	
2/7/25	वकुलाय उप0 तलबीदा दुरूस्ती तहसीलदार के जवाब हेतु तहसील को रिपोर्ट भिजवाई जवाब रिपोर्ट आइन्दा दिनांक 23/7/25 को पेश हो।	26, भेजी
23/7/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 30/7/25 को पेश हो	
30/7/25	वकुलाय उप0 मिसल वास्ते जवाब/रिपोर्ट आइन्दा दिनांक 13/8/25 को पेश हो।	
13/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप.। पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 20/8/25 को पेश हो।	
20/8/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 27/8/25 को पेश हो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
27/8/25	वकुलाय उप०। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश आइन्दा दिनांक 10/9/25 को पेश हो। [initials]
10/9/25	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि जमीन जैर बहस ख0न0 13, 111, 12, 34, 22 कुल किता 5 कुल रकबा 16.43 है0 वाके ग्राम ढ़ाणी चारण तन कालियासर में वादी मयंक चौधरी पुत्र ताराचन्द का नाम सोनू पुत्र ताराचन्द दर्ज है जो कि गलत दर्ज है जबकि वादी/प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम मयंक चौधरी पुत्र ताराचन्द है इसलिये वादी/प्रार्थी का नाम सोनू पुत्र ताराचन्द के स्थान पर मयंक चौधरी पुत्र ताराचंद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी/प्रार्थी के शपथ पत्र एवं सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। तहसीलदार मलसीसर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम ढ़ाणी चारण तन कालियासर के खाता संख्या 2, 3, 56 में सोनू पुत्र ताराचंद के स्थान पर मयंक चौधरी पुत्र ताराचंद दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट, वादी/प्रार्थी के स्वंय के शपथ पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस खाता संख्या 2, 3, 56 के ख0न0 13, 111, 12, 34, 22 कुल किता 5 कुल रकबा 16.43 है0 वाके ग्राम ढ़ाणी चारण तन कालियासर के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम सोनू पुत्र ताराचंद के स्थान पर दस्तावेजी व सही नाम मयंक चौधरी पुत्र ताराचंद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। [initials]